न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 94/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 2.8.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. चौथमल पुत्र गोरधन मीणा माता स्व0 किशनी पत्नी श्रीराम निवासी ग्राम खरायता हाल कंवरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी
2. प्रेमबाई पुत्री गोरधन माता स्व0 किशनी पत्नी श्रीराम मीणा निवासी ग्राम बाली तहसील दीगोद जिला कोटा।
3. मूर्ति बाई बेवा गोपाल मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।
4. विनोद पुत्र स्व0 गोपाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मूर्ति बाई
5. संजय पुत्र स्व0 गोपाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मूर्तिबाई
6. मोहित पुत्र स्व0 गोपाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मूर्तिबाई
   निवासीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।

...अपीलाट्स

बनाम

1. गोबरीलाल पुत्र हरदेव मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील के0 पाटन।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री बृजनारायण शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मनोज चांचोदिया अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1

निर्णय

दिनांक 19.3.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल सख्या 6/अपील/2013 बउनवान गोबरीलाल बनाम चौथमल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 03.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है गोबरीलाल (रेस्पो0 कम–1) ने तहसीलदार के0 पाटन द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 21.10.2011 ग्राम कंवरपुरा खातेदार किशनी फोत होने पर चौथमल व प्रेमबाई तथा मूतिबाई, विनोद, संजय, मोहित के पति/पिता के नाम तस्दीक किये जाने से प्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन नामा0 तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किशनी के वारिसान की जांच नही की गई और ना ही उसको सुनवाई का अवसर दिया गया। नामा0 मे अंकित भूमि के संबध मे एक वसीयत उसके पक्ष मे निष्पादित की हुई है तथा अपीलांट भूमि पर काबिज काश्त है अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर नामा0 तस्दीक करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ हैजिस पर कार्यवाही लम्बित होते हुये नामा0 तस्दीक किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गोबरीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 3.5.2017 से स्वीकार कर अपीलाधीन नामा0

सं0 169 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया कि वह वसीयत के तथ्य एवं किशनी के वारिसान के संबध मे जांच कर उभय पक्ष की सुनवाई करते हुये नियमो मे निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करें। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलौच्य निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट चौथमल वगेरा द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय ने तथाकथित वसीयत को नामा0 तस्दीक करने से पूर्व ही जांच मे लिये जाने के बाद व मृतक किशनीबाई के सारिसान के संबध मे सम्पूर्ण जांच किये जाने के पश्चात ही नामा0 समस्त जांच की जाकर नियमानुसार तस्दीक किया गया है। अपीलार्थीगण मृतक खातेदार किशनी के पुत्र पुत्री होना स्वीकृत तथ्य है ऐसी स्थिति मे नामा0 वारिसान के नाम तस्दीक किया गया जो नियमानुसार है। अधीनस्थ न्यायालय ने समय बाधित अपील को कोई युक्तियुक्त कारण नही होते हुये भी स्वीकार कर त्रुटि की है। उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि चौथमल, गोपाल एवं प्रेमबाई मृतक किशनी की संताने है। इन संतानो को लेकर किशनी ने श्रीराम से नामा विवाह किया था। रेस्पो0 द्वारा फर्जी वसीयत पेश गई जिसे साबित नही किया गया। किशनी के वारिस होने के कारण अपीलांट कंवरपुरा मे निवास करने लगे है। उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन के न्यायालय मे वाद जेरकार होने के संबध मे पत्रावली मे कोई दस्तावेज नही है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 गोबरीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी। विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नही होते हुये भी मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब को क्षमा नही किया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण नही किया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने कथन के समर्थन मे 2016 आरआरटी (II) पेज 1099, 2016 आरआरटी (II) पेज 1139 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि विवादित आराजी का नामा0 मृतक किशनी के विधिक वारिसों की जांच किये बिना ही तस्दीक किया गया जबकि मेरे पास वसीयत है। वसीयत के आधार पर नामा0 तस्दीक करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जिस पर कार्यवाही लम्बित रहे हुये नामा0 तस्दीक किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड करने का आलौच्य निर्णय पारित किया है जो सही है। अपीलांट किशनी की संतान है साबित नही किया है। मेने प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दस्तावेज पेश किये है जिसका परीक्षण कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित किया है। किशनी ने श्रीराम से नाता विवाह किया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने आलोच्य निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 अधिनियम का विधिवत निस्तारण कर डिले कन्डोन करते हुये अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय पारित कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपीलांट को साबित करना होगा कि यह श्रीराम के वारिस है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर गौर किया। तहसीलदार के0 पाटन द्वारा नामा0 सं0 169 दिनांक 21.10.11 ग्राम कंवरपुरा खातेदार किशनी के फोत होने पर चौथमल आ0 गोरधन मीणा व प्रेमबाई पुत्री गोरधन मीणा पत्नी रामकरण मीणा तथा मूर्तिबाई बेवा गोपाल, विनोद, संजय, मोहित आ0 गोपाल जरिये संरक्षक माता मूर्तिबाई के नाम तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण को गोबरीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे इस आधार पर चुनोती दी गई कि परीक्षण न्यायालय द्वारा मृतक किशनी के विधिक वारिसान की जांच नही की तथा किशनी द्वारा विवादित भूमि की वसीयत उसके पक्ष मे निष्पादित की है जिसके आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने के संबध मे परीक्षण न्यायालय मे कार्यवाही जेरकार होते हुये तथा भूमि के कब्जे की जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण उसको सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना स्वीकार करने मे त्रुटि की है। गोबरीलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3.5.2017 से स्वीकार कर अपीलाधीन नामा0 निरस्त कर प्रकरण वसीयत के तथ्य एवं किशनी के वारिसान के संबध मे जांच

वरि० स० आयु०
कोटा

कर उभय पक्ष की सुनवाई करते हुये नियमों मे निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय तहसीलदार के0 पाटन को रिमांड किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि तथाकथित वसीयत को उक्त नामा0 तस्दीक किये जाने से पूर्व ही जांच मे लिये जाने के बाद ही नामा0 समस्त जांच की जाकर नियमानुसार तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि बाधित अपील को बिना युक्तियुक्त कारण के स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण मे अपील विलम्ब से पेश करने के संबध मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचार कर, सहमत होते हुये, अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आलौच्य निर्णय दिनांक 3.5.2017 पारित किया है ऐसी स्थिति मे अवधि बाधित अपील को बिना युक्तियुक्त कारण के प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिये जाने संबधी अपीलांट का तर्क आधारहीन होने से स्वीकार्य नही है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि वसीयत के आधार पर नामा0 खुलवाने हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष गोबरीलाल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 27.1.2011 से कार्यवाही जेरकार रहते अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 21.10.2011 को गोबरीलाल को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा मृतक किशनी के वारिसान के जांच किये बिना तस्दीक किया जाना प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गोबरीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को वसीयत के तथ्य एवं किशनी के वारिसान के संबध मे जांच कर उभय पक्ष की सुनवाई करते हुये नियमो मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया है। ऐसी स्थिति मे अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण 2016 आरआरटी (ा) पेज 1099, 2016 आरआरटी (ा) पेज 1139 उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे चस्पा नही होते है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय मे हम किसी प्रकार विधिक अनियमिता नही पाते है फलत् आलौच्य निर्णय दिनांक 3.5.2017 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश प्रतीत नही होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 19.03..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा